

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पृष्ठ-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुरु

-: आदेश :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरु
व भू.अ.नि. कुरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भांडी प्रयाग तहसील रेलमगरा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या १६१ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>भांडी प्रयाग</u>	१६१	<u>जगदीश पुत्र मेरुलाल जालि जट</u>	<u>जगदीशचन्द्र पिता मेरुलाल जालि जट</u>

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

दिनांक :- **4 OCT 2025**

क्रमांक:- 231
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्राथी श्री रेलमगरा को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रायली।

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा